UPBG010044972020

न्यायालय , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।

पीठासीन अधिकारी– (अवध बिहारी सिंह), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**05897

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1768 / 2020 (कम्प्यूटर नम्बर 2014 / 2020)

अनिल, उम्र करीब 40 वर्ष , पुत्र श्री सिंधू निवासी ग्राम दत्तनगर, थाना बालैनी, जिला बागपत। ....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य सरकार ....विपक्षी।

UPBG010044962020

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1782 / 2020 (कम्प्यूटर नम्बर 2015 / 2020)

मोनू आयु करीब 27 वर्ष, पुत्र सिंधू, निवासी लतीफपुर दत्तनगर, थाना बालैनी, जिला बागपत। ....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य सरकार ....विपक्षी।

<u>दिनांकः 14.12.2020</u>

प्रार्थी / अभियुक्तगण अनिल व मोनू की ओर से अपराध संख्या 364 / 2020, धारा 63 आबकारी अधिनियम एवं धारा 272, 273 भा0दं0सं0, थाना खेकड़ा, जिला बागपत में जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध संख्या एवं एक ही घटना से संबंधित हैं अतः इनकाका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 13.09.2020 को समय 18:57 बजे वादी उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह राजौरा द्वारा थाना खेकड़ा पर इस आशय की फर्द बरामदगी प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 13.09.2020 को वह मय हमराहीयान थाने से बहवाले रपट नम्बर 35 समय 15:30 बजे रवाना होकर वास्ते शांति व्यवस्था डयूटी व तलाश संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर थे। गश्त करते हुए चौकी बड़ागांव नहर चौराहा पर पहुॅचे तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चार पांच लोग इसी नहर की पश्चिम पट्टी के किनारे यहॉ से करीब डेढ किलोमीटर दक्षिण दिशा में बसी बासी कती झाड़ियों में बैठकर यूरिया खाद व नौसादर देशी शराब में मिला तीव्रता बढाकर अपमिश्रित शराब तैयार कर सस्ते दामो में लोगों को बेच रहे हैं। इस सूचना पर वादी मय हमराहीयान के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुॅचे। पुलिस पार्टी को देखने पर चार व्यक्तियों में से एक ने तमंचा निकालकर पुलिस कर्मीगण पर फायर किया तथा तीन व्यक्ति फायर करते हुए जंगल की ओर भागे। एक बदमाश को समय करीब 16:50 बजे नहर की पश्चिमी पटरी के किनारे बासी की झाड़ियों में ही मौके पर पकड़ लिया। पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम जोनी बताया जिसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस व एक कारतूस जिन्दा बरामद किया गया। मौके से अपमिश्रित शराब देशी करीब चार लीटर व बीस पव्वा खाली प्लास्टिक व करीब डेढ किलो यूरिया व 400 ग्राम नौसादर व तीन पव्वे देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का बरामद किया गया। शेष तीन बदमाश मौके से फरार हो गए। फर्द मौके पर तैयार की गयी। वादी की फर्द बरामदगी के आधार

पर मुकदमा धारा 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि उनको झूंठा फंसाया गया है, उन्होंने उक्त वर्णित अपराध नहीं किया है। उन्होंने कोई मिश्रित शराब नहीं बनायी। अभियुक्तगण मौके से गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। अभियुक्तगण का नाम सहअभियुक्त जोनी के संस्वीकृति के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। जनता का कोई निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। उनके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी दिखाई गयी है वह फर्जी है। अभियुक्तगण दिनांक 17.11.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध केस डायरी का परिशीलन किया।

थाना खेकड़ा, जिला बागपत की पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2020 को समय लगभग 4:50 बजे शाम सहअभियुक्त जोनी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 4 लीटर अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद होना बताया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र में उपरोक्त कथनों से इंकार करते हुए झूंठा फंसाया जाना वर्णित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं किन्तु मौके से गिरफ्तार नहीं हुए हैं और सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। विवेचक द्वारा विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण दिनांक 27.11.2020 से जेल में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गण अनिल व मोनू के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण को रूपये पचास–पचास हजार का निजी मुचलका व इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू पत्रों के संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाये।

इस आदेश की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2015/2020 की पत्रावली पर रखा जाये।

(अवध बिहारी सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।